**भारत सरकार**

**शिक्षा मंत्रालय**

**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-3266**

**उत्तर देने की तारीख-16/12/2024**

**शिक्षा के लिए आवंटित बजट**

†3266. **श्री थरानिवेंथन एम. एस.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष में शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है;

(ख) विशिष्ट क्षेत्र जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान का ब्यौरा क्या है जहां धन आवंटित किया जाता है;

(ग) आवंटित निधि से वित्तपोषित सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनका उद्देश्य तमिलनाडु के भीतर विशेष रूप से शिक्षा में पहुंच, गुणवत्ता और समावेशिता में सुधार करना है; और

(घ) सरकार द्वारा शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत आवंटन प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) और (ख): नवीनतम "शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण" के अनुसार, वर्ष 2021-22 (ब.अ.) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर कुल व्यय (अर्थात, केंद्र सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र शिक्षा विभागों के साथ-साथ अन्य सभी विभाग) 4.12% है। विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र की शिक्षा पर संयुक्त व्यय निम्नानुसार है:

**(रुपए करोड़ में)**

| **क्र.सं.** | क्षेत्र | **शिक्षा पर व्यय (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र)** |
|---|---|---|
| **1** | **प्राथमिक शिक्षा** | 4,19,104 |
| **2** | **माध्यमिक शिक्षा** | 2,45,043 |
| **3** | **विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा** | 1,22,468 |
| **4** | **प्रौढ़ शिक्षा** | 944 |
| **5** | **तकनीकी शिक्षा** | 1,79,618 |
| **कुल** | | **9,67,177** |

(**ग**) शिक्षा मंत्रालय शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता तक पहुंच में सुधार करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण), प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) आदि जैसी विभिन्न शिक्षा योजनाएं कार्यान्वित करता रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां कार्यान्वित कर रही है, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है

| क्र.सं. | मंत्रालय/विभाग | वेबसाइट लिंक |
|---|---|---|
| 1. | उच्चतर शिक्षा विभाग | https://www.education.gov.in/scholarships_education_loan |
| 2. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | https://frg.ugc.ac.in |
| 3. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद | https://www.aicte-india.org/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes |
| 4. | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | https://socialjustice.gov.in/scheme-cat |
| 5. | जनजातीय कार्य मंत्रालय | https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx |
| 6. | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय | https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls_id=669&lid=825 |

(**घ**) केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा उत्कृष्टता के साथ शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस राष्ट्र एवं इसकी अर्थव्यवस्था को इससे होने वाले अनेक संबंधित लाभों को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 स्पष्ट रूप से शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का समर्थन और परिकल्पना की गई है। केंद्र और राज्य मिलकर शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर इसे जल्द से जल्द सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुँचाने के लिए काम करेंगे।

एनईपी, 2020 के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन के लिए कई पहलों और कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कई निकायों द्वारा एक समकालिक और व्यवस्थित तरीके से करना होगा। इसलिए, इस नीति के कार्यान्वयन का नेतृत्व शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों, राज्य शिक्षा विभागों, नियामक निकायों आदि सहित विभिन्न निकायों द्वारा किया जाएगा।

इस संबंध में, केंद्र सरकार ने मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों के लिए शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के बजट आवंटन को वर्ष 2021-22 के लिए 93,224 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के लिए 1,04,278 करोड़ रुपये, वर्ष 2023-24 के लिए 1,12,899 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 में 1,21,118 करोड़ रुपये कर दिया है।

*****